



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092022-238629
CG-DL-E-06092022-238629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431]
No. 431]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2022/भाद्र 15, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2022/BHADRA 15, 1944

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2022

फा. सं. सीयूजे/आर.सी./09/2020 – केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 28 की उप-धारा (2) के अधीन पठित द्वितीय अनुसूची की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष की सहमति से अध्यादेश सं. 21 अधिसूचित किए जाते हैं :

अध्यादेश-21

संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक एवं अन्य शैक्षणिक पदों के लिए), 2021

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची के संविधि 12 (2) (iv) और 23 के साथ पठित धारा 26 (d)] विश्वविद्यालय के गैर-शैक्षणिक एवं अन्य शैक्षणिक पदों के लिए संवर्ग भर्ती नियम वे होंगे जो संवर्ग भर्ती नियम (गैर-शैक्षणिक एवं अन्य शैक्षणिक पदों के लिए), 2021 में सन्निहित हैं।

प्रो. एस. एल. हरिकुमार, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./252/2022-23]

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2022

F. No. CUJ/R.C./09/2020.—In exercise of powers conferred by Sub Section (2) of Section 28 of the Central University Act, 2009 read with Section 23 of the Second Schedule of the Central Universities Act, 2009 of the Ordinance No. 21 is notified with the assent of the Visitor:

ORDINANCE-21**CADRE RECRUITMENT RULES (FOR NON-TEACHING AND OTHER ACADEMIC POSTS),
2021**

[Under Section 26(d) read with Statute 12 (2) (iv) and 23 of Second Schedule of the Central Universities Act, 2009]

The Cadre Recruitment Rules of the non-teaching and other academic posts of the University shall be those as embodied in **CADRE RECRUITMENT RULES (FOR NON-TEACHING AND OTHER ACADEMIC POSTS), 2021.**

Prof. S. L. HARIKUMAR, REGISTRAR

[ADVT.-III/4/Exty./252/2022-23]